[2021] 14 एस. सी. आर 767

जयकाम खान

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 434-436)

15 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और

बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

आपराधिक कानून-हत्या-इच्छुक और संबंधित गवाह

-

ऊपर का कमरा-- अपीलार्थी-- अभियुक्त संख्या। 1 , 3 और 4 को दोषी ठहराया गया यू/एस. एस. द्वारा दंडनीय अपराध। 302 / 34 आई. पी. सी. और मौत की सजा

अभियुक्त नं. 2 को बरी कर दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पी. डब्ल्यू. 1-और पी. डब्ल्यू. 2-दोनों गवाह हैं, जो मृतक से निकट संबंध रखते हैं।

साथ ही अभियुक्त संख्या 1-इन दो गवाहों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

केवल उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय होना-हालाँकि, उन्हें पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है

या तो-वे 'न तो पूरी तरह से विश्वसनीय' की श्रेणी में आते हैं।

विश्वसनीय द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की आवश्यकता होगी गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, एक पारित करने के लिए आवश्यक होगा

दोषसिद्धि का क्रम-भले ही पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2-का साक्ष्य है इसके अंकित मूल्य पर, अभियुक्तों ने छह मृतकों की हत्या कर दी है

विभिन्न स्थानों और यदि उनके संस्करण की तुलना साइट-योजनाओं के साथ की जाती है, यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अभियुक्तों को भी देखा होगा

उन कमरों में मारे गए मृतकों पर हमला करना जो अंदर हैं

घर के बीच का हिस्सा या ऊपर के कमरे में-पी. डब्ल्यू.-9 (10) उन्होंने स्वीकार किया कि पी. डब्ल्यू. 1-और पी. डब्ल्यू. 2-ने उन्हें अपने ठिकानों के बारे में नहीं बताया था

और इसलिए इसका उल्लेख स्थल-योजना में नहीं किया गया था-अभियोजन

उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा-दोषसिद्धि और

अभियुक्त पर लगाई गई मृत्युदंड की सजा कानूनी रूप से अस्थिर है,

रिहा किया जाए-अभियुक्त संख्या 2 के बरी होने के खिलाफ दायर अपील भी बिना किसी योग्यता के है-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 / 34 – शस्त्र अधिनियम - एस. 25/4

साक्ष्य अधिनियम, 1872-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.313।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्ष्य-हत्या-संबंधित गवाह-श्रेय योग्य

आयोजित किया गयाः केवल इसलिए कि गवाह रुचि रखते हैं और संबंधित हैं

से

उचित देखभाल और सावधानी गवाह, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो न्यायालय पर ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करने में कोई बाधा नहीं है।

साक्ष्य-हत्या-स्वतंत्र की गैर-जांच

गवाह-आयोजितः घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे-हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी-क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, वे इच्छुक गवाह हैं।

-स्वतंत्र गवाहों की जांच, हालांकि उपलब्ध है, अभियोजन पक्ष के बयान को संदिग्ध बना देगी।

साक्ष्य-अन्य परिस्थितियाँ-छह व्यक्तियों की हत्या

घर में अलग-अलग स्थानों पर-चश्मदीद गवाह संबंधित गवाह थे और उन्हें पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं पाया गया-अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई अन्य परिस्थितियों पर-चर्चा की गई।

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 27- हत्या-खून के धब्बों से मुक्ति

अपराध करते समय अभियुक्त द्वारा कथित रूप से पहने गए कपड़े-आयोजितः अभियुक्त यू/के ज्ञापन पर कपड़े बरामद नहीं किए गए। धारा 27 और इस प्रकार, उक्त परिस्थिति का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता था।

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 27 - आयोजित किया गयाः केवल ऐसी जानकारी,

जो स्पष्ट रूप से तथ्यों की खोज से संबंधित है, यू/स्वीकार्य होगा। एस. 27-वर्तमान मामले में, कथित बरामदगी में से एक उस कमरे से है जहां मृतक में से एक सोता था-अन्य दो

वसूली अन्य मृतकों के घर के ठीक पीछे खुले मैदान से होती है, यानी घटना स्थल-वसूली उन स्थानों से की गई थी, जो सभी के लिए सुलभ थे और इस तरह की वसूली पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था।

आपराधिक कानून-उद्देश्य-प्रमाण-आयोजितः सीधे मामले में

साक्ष्य और चश्मदीद गवाह की आंख की गवाही मिल रही है

विश्वसनीय और ठोस होने के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के उद्देश्य को साबित करना आवश्यक नहीं होगा-हालाँकि, वर्तमान मामले में, चश्मदीद गवाहों की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उद्देश्य एक प्रासंगिक कारक होगा।

जयकम खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

आपराधिक कानून-आपराधिक न्यायशास्त्र-अभियोजन अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा-निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवहेलना।

पी. डब्ल्यू.-1 को खारिज करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 पी. डब्ल्यू. 1-और पी. डब्ल्यू. 2 दोनों गवाह हैं, जो मृतक के साथ-साथ आरोपी नंबर 1 के निकट संबंधी हैं।

केवल इसलिए कि गवाह इच्छुक और संबंधित गवाह हैं, यह उनकी गवाही पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, ऐसे गवाहों की गवाही की जांच उचित सावधानी और सावधानी के साथ की जानी चाहिए। ऐसे गवाहों के साक्ष्य की जांच करने पर, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि साक्ष्य है विश्वास योग्य, तो ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करने में अदालत पर कोई रोक नहीं है। पी. डब्ल्यू. 1-और पी. डब्ल्यू. 2-दोनों गवाह हैं, जो मृतक और आरोपी नंबर 1-से निकट संबंध रखते हैं। इसलिए, उनके साक्ष्य की अधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ जांच करना आवश्यक होगा। भले ही पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 का साक्ष्य है

इसके अंकित मूल्य को देखते हुए, अभियुक्तों ने अलग-अलग स्थानों पर छह मृतकों की हत्या की है। पीडब्लू. 1 द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति के अनुसार, आरोपी नंबर 1 का घर उस स्थान से 15 कदम दूर है जहाँ

वह परिसर में छिपा हुआ था। उनके अनुसार, जिस घर में यह घटना हुई थी, वहां कुल 5 कमरे हैं। उसने अपनी जिरह में कहा है कि शौकीन खान (भाई) की हत्या घर के आंगन में की गई थी और उसके पिता मौसम खान की बरामदे में हत्या की गई थी। बरामदे में उनकी भतीजी मुस्कान की भी हत्या कर दी गई थी। उसकी माँ-असगरी और भतीजे समद की हत्या उस कमरे में की गई थी जो रसोई से 15 कदम दूर है, जबकि मृतक शन्नो (साली) की हत्या ऊपर के कमरे में की गई थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उपरोक्त

उपरोक्त कमरा दक्षिण की ओर खुलता है। [पारस 28,31 और 32] [785-ए-बी; 786-ई, एफ-एच; 787-ए] 1.2 पीडब्लू. 1 के साक्ष्य और पीडब्लू. 9-के साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि पहला स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-51) था

पी. डब्ल्यू. 9 द्वारा पी. डब्ल्यू. 1 पर तैयार किया गया-विवरण की ओर इशारा करते हुए। तीनों स्थल-योजनाएँ (प्रदर्शनी का-51, का-52 और का-45) [2021] 14 एस. सी. आर. रही हैं।

पी. डब्ल्यू. 9-, आई. ओ. द्वारा तैयार की गई पहली स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-51) उन स्थानों को दर्शाती है जहाँ मृतक के शव पाए गए थे। उक्त स्थल में क्रम संख्या 1-योजना वह स्थान है जहाँ मृतक शौकीन खान का शव मिला था। सीरियल नंबर 2 वह स्थान है जहाँ मृतक मौसम खान का शव मिला था। सीरियल नंबर 3 वह स्थान है जहाँ मृतक शन्नो बेगम का शव मिला था। सीरियल नंबर 4 वह स्थान है जहाँ मृतक मुस्कान का शव मिला था। सीरियल नंबर 5 वह स्थान है जहाँ मृतक असगरी का शव मिला था। सीरियल नंबर 6 वह स्थान है जहाँ मृतक समद का शव मिला था। उक्त स्थल पर तीर के निशान-योजना उस दिशा को दर्शाती है जिसमें

आरोपी पीछे के दरवाजे से भाग गए। यह देखा जाना चाहिए कि उक्त स्थल-योजना में दक्षिणी तरफ का कमरा नहीं दिखाया गया है। दूसरा स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-52) मृतक शौकीन खान के खेत से आरोपी के कहने पर बनाए गए हथियारों की बरामदगी के संबंध में है। तीसरा स्थल-योजना (प्रदर्शनी)

के. ए.-45), जो शस्त्र अधिनियम की धारा 25/4 के तहत 2014 के केस क्राइम No.26 के संबंध में तैयार किया गया है, उन स्थानों को भी दर्शाता है जहां से अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियारों को आरोपी के कहने पर बरामद किया गया था। अंतिम दो स्थलों-प्रदर्शनी का-52 और प्रदर्शनी का-45 में दक्षिण की ओर एक कमरा दिखाया गया है। पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य के अनुसार, जिस कमरे में उन्होंने दक्षिण में खुद को छुपाया था, वह रसोईघर है। उनके साक्ष्य के अनुसार, रसोई का दरवाजा उत्तर की ओर खुलता है, जबकि तीसरे स्थान-योजना (प्रदर्शनी का-45) के अनुसार, दक्षिण की ओर उक्त कमरे का दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है। पी. डब्ल्यू. 2 के संस्करण के अनुसार, उन्होंने इस घटना को उस स्थान से देखा है जहां भैंसों को बांध दिया गया है, जो बाथरूम से सटा हुआ है। हालाँकि शौचालय स्थल-योजना में नहीं दिखाया गया है, यह मानते हुए कि यह उस स्थान से सटा हुआ है जहाँ भैंसें हैं।

बंधा हुआ, यह दक्षिण-पश्चिम कोने में होगा। [पारस 35,37-43] [787-F-G; 791-A-H]

1.3 पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 की गवाही के अनुसार, सबसे पहले मौसम खान पर हमला किया गया और बरामदे में उसे मार दिया गया, जबकि मृतक शौकीन खान को अदालत के प्रांगण में मार दिया गया। मृतक मुस्कान, असगरी और समद पर घर के बीच वाले कमरे में हमला किया गया।

जयकम खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

इन गवाहों के अनुसार, शन्नो बेगम पर ऊपर से हमला किया गया था। यदि इन दो गवाहों के बयान की तुलना स्थल-योजनाओं से की जाती है, तो जो स्थिति सामने आती है, उससे पता चलता है कि पी. डब्ल्यू. 1-, अधिक से अधिक, मृतक शौकीन खान पर हमले को देख सकता था, जबकि पी. डब्ल्यू. 2 मृतक मौसम खान और मृतक शौकीन खान पर हमले को देख सकता था।

हालांकि, पहले स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-51) के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि मृतक मुस्कान, समद और असगरी के शव घर के अंदर थे, और मृतक शन्नो बेगम का शव ऊपर था, इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि इन दो गवाहों ने आरोपी को शन्नो बेगम, मुस्कान, असगरी और समद पर हमला करते हुए भी देखा होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पी. डब्ल्यू. 9-ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है

कि पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2-ने उन्हें अपने ठिकानों के बारे में नहीं बताया था और इसलिए स्थल-योजना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इन दोनों गवाहों को केवल उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। पहले की तरह चर्चा की गई, हालांकि पी. डब्ल्यू. 1-मृतक शौकीन खान पर हमले को देख सकता था और पी. डब्ल्यू. 2-गवाह हो सकता था

मृतक शौकीन खान और मृतक मौसम खान पर हमला, यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अन्य चार मृत व्यक्तियों पर हमला देखा होगा। उक्त गवाहों को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। वे 'न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय' की श्रेणी में आते हैं और इस तरह, अधिक सावधानी और सावधानी की आवश्यकता होगी और दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के लिए विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की आवश्यकता होगी। [पैरा 44,45 और 47] [792-ए-ई; 793-सी-डी]

वादिवेलु थेवर और एक अन्य वी। मद्रास राज्य

(1957) एस. सी. आर. 981-निर्भर।

2.1 अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर अन्य परिस्थितियाँ घटना के तुरंत बाद आरोपी की गिरफ्तारीः

यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपी संख्या। 1 , 3 और 4 लोग राजघाट चौक पर इंतजार कर रहे थे, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है।

घटना स्थल से किलोमीटर दूर, पुलिस के आने और उन्हें गिरफ्तार करने का इंतजार करते हुए। कथित मुखबिर ने न तो न तो उसका नाम लिया गया है और न ही उसकी जांच की गई है। [2021] 14 एस. सी. आर. पर विश्वास करना और भी मुश्किल है।

कि आरोपी नंबर 2-गाँव में घूम रहा था और संयोग से सुबह 6:40 बजे पी. डब्ल्यू. 9-(आई. ओ.) के साथ रास्ता पार कर गया। , जब वह अन्य अभियुक्तों के साथ पुलिस स्टेशन लौट रहा था। यह है।

पी. डब्ल्यू. 2 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब वह और पी. डब्ल्यू. 1 लिखित रिपोर्ट देने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, (ए-1), (ए-2), (ए-3) और (ए-4) पहले से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। के अनुसार अभियोजन पक्ष ने अपराध 23 जनवरी, 2014 को दर्ज किया है।

10.00 अपराह्न में जब पीडब्लू1 और पीडब्लू2 दोनों उपस्थित थे। यदि पी. डब्ल्यू. 2-का संस्करण, कि सभी चार आरोपी उपस्थित थे

माना, फिर आरोपी की गिरफ्तारी संख्या। 1 , 3 और 24 जनवरी, 2014 को सुबह 2 बजे 4 और उसी दिन सुबह 6ः40 बजे आरोपी नंबर 2 की गिरफ्तारी रहस्यमय है। [पारस 52,53] [794-जी-एच; 795-ए-डी] 2.2 अभियुक्त के कहने पर अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी।

जहाँ तक अभियुक्त के कहने पर अपराध में कथित रूप से उपयोग किए गए हथियारों की बरामदगी का संबंध है,

अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी-सह-वसूली ज्ञापन पर भरोसा किया है, जो प्रदर्शनी का-49 में है। हालांकि ज्ञापन से पता चलता है कि उक्त बरामदगी सार्वजनिक गवाहों की उपस्थिति में की गई थी, नहीं इसका समर्थन करने के लिए सार्वजनिक गवाह से पूछताछ की गई है। चूंकि उक्त ज्ञापन का समर्थन करने के लिए किसी भी सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए उसमें दिए गए बयान की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी। अपराध को स्वीकार करने के संबंध में उसमें दिए गए सभी बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होंगे। केवल ऐसी जानकारी, जो स्पष्ट रूप से तथ्यों की खोज से संबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगी। कथित बरामदगी में से एक उस कमरे से है जहाँ मृतक असगरी सोता था। अन्य दो रिकवरी खुले मैदान से हैं, जो घर के ठीक पीछे हैं।

मृतक शौकीन खान, अर्थात घटना स्थल। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वसूली उन स्थानों से की गई थी, जो सभी के लिए सुलभ थे और इस तरह की वसूली पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी। [पारस 54-56] [795-D-E; 796-E-F; 797-C-F] 2.3 अपराध करते समय अभियुक्त द्वारा कथित रूप से पहने गए रक्तरंजित कपड़ों की बरामदगी।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, आरोपी परिसर के पिछले द्वार से भाग गया था, जो उत्तर की ओर है। के रूप में

पीडब्लू. 1-के साक्ष्य के अनुसार, (ए-1) का घर घटना स्थल से 10-15 कदमों की दूरी पर है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद कई ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे। इन परिस्थितियों में, यह फिर से एक रहस्य है कि चारों आरोपी कैसे भाग गए। घटनास्थल पर, उक्त स्थान पर वापस आए, अपने कपड़े बदले और फिर से चले गए। यह भी एक रहस्य है कि आरोपी नंबर कैसे। 3 और

4 , जो ए-1 के घर में नहीं रहते हैं, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे और उन्हें ए-1 के घर में रखा था। यह इस तथ्य के साथ कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट अनिर्णायक हैं, उक्त वसूली की वास्तविकता पर संदेह की एक बड़ी छाया पैदा करता है। किसी भी मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के ज्ञापन पर उक्त कपड़े बरामद नहीं किए गए हैं और इस तरह, उक्त परिस्थिति का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता था। [पैरा 58] [798-सी-ई]

2.4 प्रेरक

प्रत्यक्ष साक्ष्य और चश्मदीद गवाह के विश्वसनीय, विश्वसनीय और ठोस पाए जाने के मामले में, अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के उद्देश्य को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, चश्मदीद गवाहों की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, उद्देश्य पहलू एक प्रासंगिक कारक होगा। अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, अपराध के पीछे मुख्य उद्देश्य एक ओर आरोपी नंबर 1 और दूसरी ओर मृतक मौसम खान, मृतक शौकीन खान और पीडब्लू 1-के बीच ईंट-भट्टे के प्रबंधन को लेकर विवाद था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, P.W.1has ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह ए-1 और परिवार है जिसका उसके साथ ईंट-भट्टे की संपत्ति को लेकर विवाद था। उक्त विवाद खातों के विवरण को लेकर था। उन्होंने स्वीकार किया है कि आरोपी संख्या। 3 और 4 का अपने पिता दिवंगत मौसम खान के ईंट-भट्टे के संबंध में कोई लेना-देना नहीं था। (ए-3) और (ए-4) के संबंध में, अभियोजन पक्ष किसी भी उद्देश्य को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और जहां तक (ए-1) का संबंध है, वह किसी भी मजबूत उद्देश्य को साबित करने में भी विफल रहा है। अभियोजन पक्ष में कई अन्य विसंगतियां और खामियां हैं

मामला। पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के अनुसार, बड़ी संख्या में ग्रामीण [2021] 14 एस. सी. आर.

कि, यह देखा जा सकता है कि, हालांकि यह पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 का दावा है कि वे एक साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन साक्ष्य द्वारा इसका खंडन किया गया है पी. डब्ल्यू. 4-, जो पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल क्लर्क थे। इस तथ्य के साथ कि पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 के पास मोबाइल फोन थे, उन्होंने पुलिस को फोन पर सूचित नहीं किया था, अभियोजन पक्ष के मामले की वास्तविकता के संबंध में भी गंभीर संदेह पैदा करता है। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अभियुक्त पर लगाया गया दोषसिद्धि और मृत्युदंड कानूनी रूप से पूरी तरह से अस्थिर है। यदि किसी अन्य अपराध में आवश्यकता न हो तो तुरंत रिहा किया जाए। पीडब्लू. 1 द्वारा दायर अपील

अभियुक्त संख्या 2 के बरी होने के संबंध में कोई योग्यता नहीं है। [पारस 59-61,65-70,83 और 84] [800-E-G; 801-D-E, F-G; 808-B-E]

राजस्थान राज्य बनाम। तेजा सिंह और अन्य (2001) 3 एस. सी. सी. 147; जॉयदेब पात्रा और अन्य बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल (2014) 12 एस. सी. सी. 444: [2013] (4) एस. सी. आर. 192; पंजाब राज्य बनाम। जागीर सिंह, बालजीत सिंह और करम

सिंह (1974) 3 एससीसी 277: [1974] (1) एससीआर 328; आनंद रामचंद्र चौगुले बनाम। सिदाराई लक्ष्मण चौगला

और अन्य (2019) 8 एस. सी. सी. 50: [2019] (11) एससीआर 14 -

पर भरोसा किया।

प्यारा सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1977) 4 एससीसी 452: [1978] (1) एस. सी. आर. 597; अनिल फूकन बनाम। असम राज्य (1993) 3 एससीसी 282: [1993] (2) एस. सी. आर. 389 संदर्भित है। पुलुकुरी कोट्टय्या और अन्य बनाम। राजा सम्राट आकाशवाणी 1947

पीसी 67 का उल्लेख किया गया है।

- जयकम खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

मामला कानून संदर्भ

[1978] (1) एससीआर 597

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1993] (2) एससीआर 389

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

(1957) एससीआर 981

उस पर भरोसा करें

पै

रा 46

(2001) 3 एससीसी 147

पै

रा 67

उस पर भरोसा करें

[2013] (4) एससीआर 192

उस पर भरोसा करें

पै

रा 71

[1974] (1) एससीआर 328

उस पर भरोसा करें

पै

रा 75

[2019] (11) एससीआर 14

उस पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 434-436 2020 से।

उच्च न्यायालय के 18.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

संदर्भ (2016 का सं. 1) में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका और 2016 के राजधानी मामलों No.602 और 844।

आपराधिक अपील सं। 442 , 437-439 और 2020 का 440-441। विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दामा

शेषाद्री नायडू, सुश्री शिवाली चौधरी, विनय आनंदवर्धन, सिद्धार्थ चापलगांवकर, आशीष विरमानी, अनंत अग्रवाल, सुश्री श्वेता रानी, सुश्री रितिका खन्ना, विभोर जैन, सुश्री विनोदना विंजम, सुश्री हरिनी रघुपति, अंकित कुमार लाल, सर्वेश सिंह बघेल, राजन कुमार चौरसिया, उपेंद्र मिश्रा, राजेंद्र कुमार सिंह, सुश्री अर्पिका सिंघल, बी. एन. दुबे, प्रसन्ना एस., युवराज सिंह राठौर, सुश्री विनोथना वी., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. वर्तमान अपीलें सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं और

18 मई, 2018 को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2016 के संदर्भ No.01 और 2016 के कैपिटल केस No.602 और 2016 के कैपिटल केस No.844 में पारित आदेश, इस प्रकार

2 जनवरी, 2016 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और 11 जनवरी, 2016 के मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि करते हुए मूल आरोपी संख्या। 1 , 3 और 4 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर द्वारा। 18 मई, 2018, [2021] 14 एस. सी. आर. के उक्त विवादित फैसले के माध्यम से।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त संख्या 2-नज़रा की अपील को स्वीकार कर लिया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा <आई. डी. 1 के तहत दोषसिद्धि और उसे दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया है।

2. व्यथित होने के कारण, आपराधिक अपील सं। 434-436 2020 का मामला जयकम खान (अभियुक्त संख्या 3) द्वारा दायर किया गया है; आपराधिक अपील संख्या। 437-439

2020 का मामला साजिद (अभियुक्त संख्या 4) और आपराधिक अपील संख्या 4 द्वारा दायर किया गया है। 440-441 2020 का मामला मोमीन खान (अभियुक्त संख्या 1) द्वारा दायर किया गया है; जबकि 2020 की आपराधिक अपील संख्या 442 अली शेर खान द्वारा दायर की गई है, जो मूल आरोपी संख्या 2-नजर को बरी करने के आदेश से व्यथित होने के कारण पहला सूचना देने वाला (पीडब्लू 1) (जिसे इसके बाद पीडब्लू 1-अली शेर खान के रूप में संदर्भित किया गया है) है।

3. अपीलार्थी-मोमीन खान (ए-1), मृतक शौकीन खान, पी. डब्ल्यू. 1 अली शेर खान और कल्लू खान मृतक मौसम के चार बेटे हैं। खान (पिता, आयु लगभग 85 वर्ष) और मृत असगरी (माता, आयु लगभग 80 वर्ष)। मृतक शन्नो (लगभग 30 वर्ष की आयु) मृतक शौकीन खान की पत्नी है, जबकि मृतक समद (लगभग 8 वर्ष की आयु)

वर्ष) मृतक शौकीन खान का पुत्र है और मृतक मुस्कान (लगभग 15 वर्ष की आयु) पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान की भतीजी है। 4. अपीलार्थी-जयकम खान (ए-3) मृतक शौकीन खान, अपीलार्थी-मोमीन खान (ए-1) और पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान का पहला चचेरा भाई है। अपीलार्थी-साजिद (ए-4) अपीलार्थी-जयकम खान (ए-3) का बेटा है। मूल अभियुक्त संख्या 2-नज़रा, जिसे निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और बरी कर दिया था

उच्च न्यायालय द्वारा, अपीलार्थी-मोमीन खान (ए-1) की पत्नी है।

5. अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक शौकीन खान और पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान के मोमीन खान (ए-1) और उनकी पत्नी नाज़रा (ए-2) के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इसलिए, मृतक मौसम खान (पिता) ने सभी भाइयों को अलग कर दिया था और उनके संबंधित हिस्से को आवंटित कर दिया था।

संपत्तियाँ। उनमें से प्रत्येक के घर एक परिसर में थे। मृतक मौसम खान (पिता) के पास एक ईंट-भट्ठा था। शुरुआत में, अपीलकर्ता-मोमीन खान (ए-1) ईंट-भट्ठा चलाता था, लेकिन वह ईंट-भट्टे से अर्जित धन को मृतक मौसम खान (पिता) और उसके बड़े भाई, मृतक शौकीन खान को नहीं देता था। इसलिए, मृतक मौसम खान (पिता) ने मोमीन खान (ए-1) को ईंट-भट्टे से बेदखल कर दिया था। इसके बाद, मृतक मौसम खान और पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान अपने भाई मृतक शौकीन खान की मदद से ईंट-भट्ठा चला रहे थे। जयकम खान (ए-3) और साजिद (ए-4)

उनके बढ़ते व्यवसाय से ईर्ष्या हुई और इसलिए विवादित भूमि पर ईंट बिछाने के लिए भी मामला दर्ज किया गया। इसके बाद जयकम खान बनाम के बीच दुश्मनी पैदा हो गई।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

उन्हें, और छोटे भाई मोमीन खान (ए-1) कंपनी में शामिल हो गए

उनके चाचा के बेटे यानी जयकम खान (ए-3) और जयकम खान (ए-3) के बेटे साजिद (ए-4)।

6. घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 23 जनवरी, 2014 को

पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद, किसी तरह उनकी जान बचाने में कामयाब रहे। मृतक और अन्य लोगों की पुकार सुनकर कई ग्रामीण जमा हो गए और चारों आरोपी पिछले दरवाजे से मौके से भाग गए। 7. घटना के तुरंत बाद पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2 जान मोहम्मद जिला बुलंदशहर के पुलिस स्टेशन नरोरा गए। उस पर

पीडब्लू. 1-अली शेर खान द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई। जाँच पूरी होने पर, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया। यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

8. ट्रायल जज ने आई. पी. सी. की धारा 302/34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 25/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए।

शस्त्र अधिनियम, 1878 (इसके बाद "शस्त्र अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। मुकदमे के समापन पर, ट्रायल जज ने 2 जनवरी, 2016 के फैसले और आदेश के माध्यम से दोषी ठहराया आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सभी चार अभियुक्तों को 11 जनवरी, 2016 के आदेश के अनुसार मौत की सजा सुनाई गई। अपीलार्थी-अभियुक्त सं। 1 , 3 और 4 को शस्त्र अधिनियम की धारा 1 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया और पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और चूक की स्थिति में उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास से गुजरना पड़ा।

9. ट्रायल जज ने 11 जनवरी, 2016 के उक्त आदेश के माध्यम से आपराधिक संहिता की धारा 366 (1) के तहत भी एक संदर्भ दिया।

प्रक्रिया, 1973 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित) उच्च न्यायालय को 2016 के संदर्भ संख्या 1 के माध्यम से मौत की सजा की पुष्टि के लिए।

उसके द्वारा सम्मानित किया गया।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इससे व्यथित होकर, चारों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील की। की डिवीजन बेंच

उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से, अपीलार्थियों की अपीलों को खारिज कर दिया-आरोपी संख्या। 1 , 3 और 4 और उन्हें दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आरोपी संख्या 2-नज़रा की अपील को स्वीकार कर लिया और उसे आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत आरोपों से बरी कर दिया। 11. इससे व्यथित होकर, मोमीन खान (ए-1), जयकम खान (ए-3), साजिद (ए-4) और पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान वर्तमान अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

12. हमने श्रीमती को सुना है। नित्य रामकृष्णन, अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील-मोमीन खान (ए-1) के साथ-साथ बरी किए गए मूल आरोपी नंबर 2-नाज़रा, श्री दमा शेषाद्री नायडू,

अपीलार्थियों के विद्वान वकील-जयकम खान (ए-3) और साजिद (ए-4), श्री अनंत अग्रवाल, अपीलार्थी के विद्वान वकील-पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और श्री विनोद दिवाकर, विद्वान अपर महाधिवक्ता उपस्थित हुए

प्रत्यर्थी की ओर से-उत्तर प्रदेश राज्य।

क्रमशः रसोईघर और घर के पशुशाला से। वह प्रस्तुत करती है कि वे दोनों इच्छुक गवाह हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त संख्या 2-नज़रा के संबंध में इन दो गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास किया है। वह प्रस्तुत करती है कि जब पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद की नेत्र संबंधी गवाही को उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी नंबर 2-नजर के संबंध में भरोसेमंद और विश्वसनीय नहीं पाया गया, तो उच्च न्यायालय गंभीर त्रुटि में पड़ गया। समान नेत्र साक्ष्य के आधार पर अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराना।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष

प्रदर्शनी का-51, का-52 और का-45 में तीन स्थलों को रिकॉर्ड में रखा गया है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी साइट-योजना में, रसोई और बाथरूम (जो मवेशियों के बगल में होना चाहिए) का स्थान नहीं है।

शेड) दिखाया गया है। वह प्रस्तुत करती है कि इस तरह, एक गंभीर संदेह है कि क्या पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के पास है।

वास्तव में घटना को देखा। वह आगे प्रस्तुत करती है कि भले ही अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया जाए, घटना के तुरंत बाद, कई ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए थे, हालांकि, जयकाम खान बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

ऐसे गवाहों के बयान दर्ज किए गए, अभियोजन पक्ष ने एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की है। इसलिए, वह प्रस्तुत करती है कि गैर-परीक्षण के कारण एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है

स्वतंत्र गवाह, हालांकि वे बहुत अधिक उपलब्ध थे।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद दोनों ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उनके पास मोबाइल फोन थे। वह प्रस्तुत करती है कि सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह की नृशंस घटना के बाद, पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद ने अपने मोबाइल फोन पर पुलिस को इसके बारे में सूचित किया होगा। वह प्रस्तुत करती है कि, हालाँकि, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करती है कि हालांकि धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान दर्ज करने के बाद, जयकम खान (ए-3) की पत्नी ने पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (इसके बाद "C.D.Rs" के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, उक्त आवेदन को ट्रायल जज द्वारा खारिज कर दिया गया था। वह प्रस्तुत करती है कि यदि उक्त C.D.Rs. को रिकॉर्ड में रखा गया होता, तो उन्होंने अभियोजन पक्ष की वास्तविकता को स्थापित किया होता।

नज़रा, जो लगभग सुबह 6ः40 बजे दिखाई जाती है, भी प्रहसन है। 17. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि निचली अदालत ने सभी चार अभियुक्तों को दोषी ठहराने में घोर गलती की है और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या के खिलाफ मौत की सजा को बनाए रखने और पुष्टि करने में गलती की है। 1 , 3 और 4. वह प्रस्तुत करती है कि किसी भी मामले में, न तो उच्च न्यायालय और न ही निचली अदालत ने मृत्युदंड के फैसले को उचित ठहराते हुए कोई कारण दिया है। वह प्रस्तुत करती है कि [2021] 14 एस. सी. आर. के बारे में एक फुसफुसाहट भी नहीं है।

अभियुक्त के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना क्यों नहीं है और क्यों मृत्युदंड देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

18. जयकम खान (ए-3) और साजिद (ए-4) की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री दमा शेषाद्री नायडू ने कहा कि जहां तक उक्त अभियुक्तों का संबंध है, अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से अविश्वसनीय है। वह प्रस्तुत करता है कि मृतक मौसम खान और जफर खान शकूर खान के बेटे हैं। जयकम खान (ए-3) जफर खान का बेटा है। वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जफर खान और मृतक मौसम खान के बीच लंबे समय से विभाजन था

कुछ समय पहले। इतना ही नहीं, बल्कि परिवार की दो शाखाओं के बीच एक और विभाजन हुआ। वह प्रस्तुत करता है कि इन दो गवाहों, यानी पीडब्लू. 1-अली शेर खान और पीडब्लू. 2-जान मोहम्मद की गवाही से पता चलता है कि मृतक मौसम खान, मृतक शौकीन खान और पीडब्लू. 1-अली शेर खान के बीच कोई दुश्मनी नहीं है।

19. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पी. डब्ल्यू. 2 जान मोहम्मद का साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं था। उसके साक्ष्य का अवलोकन होगा यह बताता है कि वह परिवार की संपत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता है।

20. श्री नायडू ने आगे कहा कि कपड़े और हथियार की बरामदगी पूरी तरह से हास्यास्पद है। वह प्रस्तुत करता है कि यह पूरी तरह से असंभव है कि

अभियुक्त नं. 3 और 4, जो मोमीन खान (ए-1) के परिवार के सदस्य नहीं हैं, अपराध करने के बाद मोमीन खान (ए-1) के घर पर अपने खून से सने कपड़े रखते थे। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि उंगलियों के निशान बरामद वस्तुओं से लिए गए थे, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है और इसलिए, अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में "एफ. एस. एल".) रिपोर्टों को धारा 313 सी. आर. के तहत परीक्षा के दौरान चिह्नित किया जाता है। पी. सी., जिसकी अनुमति नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि, किसी भी मामले में, उक्त रिपोर्ट अनिर्णायक हैं। श्री नायडू ने आगे कहा कि चूंकि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद संबंधित गवाह हैं, इसलिए उनके साक्ष्य की अधिक सावधानी के साथ जांच करनी होगी और

निरीक्षण और बिना किसी पुष्टि के उनकी एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि का आदेश पारित करना सुरक्षित नहीं होगा।

जयकम खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

21. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता श्री विनोद दिवाकर ने प्रस्तुत किया

कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने साथ-साथ, साक्ष्य की सराहना पर, अभियुक्त को दोषी ठहराया है। वह प्रस्तुत करता है कि समवर्ती निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं देखी जा सकी। वह प्रस्तुत करता है कि केवल इसलिए कि रसोई और शौचालय स्थल-योजनाओं में नहीं दिखाए गए हैं, यह पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद की नेत्र संबंधी गवाही पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन दोनों गवाहों के साक्ष्य की एफ. आई. आर. द्वारा पुष्टि की गई है।

22. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि गवाहों के साक्ष्य में कुछ विसंगतियां हैं, यह गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है, जो अन्यथा ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त संख्या के कहने पर की गई अपीलों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। 1 , 3 और 4 और वही बर्खास्त किए जाने के योग्य हैं।

23. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अनंत अग्रवाल ने कहा कि जब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोषी ठहराए गए आरोपी नंबर 2-नज़रा के साक्ष्य के सही मूल्यांकन के आधार पर, उच्च न्यायालय के लिए मामले को उलटने का कोई कारण नहीं था।

एक ही।

24. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील, समर्थन करते हुए

उनकी दलीलों ने इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया है।

25. अपीलार्थियों के विद्वान वकील की सहायता से,

हमने पूरे साक्ष्य की गहराई से जांच की है। चूँकि अभियुक्त अपीलार्थियों की दोषसिद्धि काफी हद तक पी. डब्ल्यू. 1 अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद की मौखिक गवाही पर आधारित है, इसलिए हम पाते हैं कि उनकी जाँच के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

पी. डब्ल्यू. 1 के प्रमुख-अली शेर खान

" मेरे पिता के पास ईंटें थीं और उसी ईंटों के कारण अदालत में मौजूद आरोपी व्यक्तियों जैसे जयकम खान, शाजीद, नजर को भी दुश्मनी का सामना करना पड़ा। नज़रा मोबिन की पत्नी है। जयकम खान मोबिन के चचेरे भाई हैं और साजिद मोबिन के ताऊ परिवार के भतीजे हैं। यह घटना 23 जनवरी, 2014 की है और यह लगभग रात 8:30 बजे की थी। उस दिन मेरी बहन के पति जान मोहम्मद दोपहर करीब 2 बजे आए थे और घर पर मौजूद थे।

घटना के समय। घटना के समय, मेरा [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिता मौसम खान, मेरी माँ असगरी, मेरे भाई शौकीन खान, उनकी पत्नी सन्नो और उनके बड़े भाई सौकीन खान के बेटे समद और मेरी भतीजी मुस्कान, मेरे बहनोई जान मोहम्मद और मैं घर पर मौजूद थे। मोमीन खान, उनकी पत्नी नज़रा, जयकाम खान और उनके बेटे शाजिद मोमीन खान के घर की ओर से रात करीब साढ़े आठ बजे हमारे परिसर में घुसे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं रसोई के कमरे में था। इन सभी अभियुक्तों के हाथों में चाकू थे। इन चारों ने बरामदे में सो रहे मेरे पिता पर चाकू से हमला किया और जब उन्होंने मेरे पिता पर हमला किया तो मैं इसे रसोई के कमरे से देख रहा था। पिता के चिल्लाने-चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी भतीजी मुस्कान दौड़ती आई तो अदालत में मौजूद ये चार आरोपी उसके पीछे भागे और हाथ में चाकू लेकर उसे भी काट दिया। मेरी माँ और भतीजा समद भी उसी बरामदे में थे जहाँ

मुस्कान पर हमला किया गया। इन चारों अभियुक्तों ने इन दोनों को भी चाकू से काट दिया। यह शोर-शराबा सुनकर जब मेरा बड़ा भाई सौकीन ऊपर से नीचे आया तो आरोपी लोगों ने उसे गेट के पास भी मार डाला। शोर-शराबा सुनकर नीचे आई मेरी साली सन्नो को उनके हाथों मार दिया गया।

ऊपर जा रहे हैं। मेरी साली सन्नो घटना को नीचे की ओर होते देख भाग गई। मेरे बहनोई जान मोहम्मद अपनी जान बचाते हुए घर में कहीं भी छिपे हुए थे और उन्होंने भी इस घटना को देखा था। इसके बाद आरोपी फरार हो गए।

घटना को अंजाम देना। मैं डर के कारण मृत व्यक्तियों को नहीं बचा सका। घटना के बाद, मैं अपने बहनोई जान के साथ मोहम्मद पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन में मेरे द्वारा दी गई शिकायत फाइल पर उपलब्ध है और वही आज मेरे सामने है जिसे मैंने खुद लिखा था और पुलिस स्टेशन में दिया था। इसे एक्सट के रूप में चिह्नित किया गया था। का-1। सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अदालत में मौजूद अभियुक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने उन सभी हत्याओं को अंजाम दिया था जिन्हें मैंने छिपते हुए देखा था।

पी. डब्ल्यू. 2 की मुख्य परीक्षा-जान मोहम्मद

" 1 यह घटना 23.01.2014 पर हुई थी। घटना के दिन मैं दोपहर 2 बजे पिलखाना गांव में अपने ससुर मौसम खान के घर आया था। घटना के समय मैं अपने ससुर मौसम खान के घर पर मौजूद था। घटना रात करीब 8 बजे की है। मैं अभियुक्त व्यक्तियों जयकाम खान बनाम को जानता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

अदालत में जयकम खान, साबिद खान, मोमीन खान और नाजरा मौजूद हैं। मैंने सबसे पहले अभियुक्तों को देखा था।

बरामदे में मेरे ससुर मौसम खान के घर पर। उस समय मैं बाथरूम से बाहर आया था और पहली बार मैंने आरोपी व्यक्तियों को उस जगह से देखा था जहाँ भैंसें हैं।

बंधी हुई और बाथरूम के बगल में है। इन सभी अभियुक्तों के हाथों में चाकू और चूड़ी (छोटा चाकू) था। यह 10-15 सीढ़ियों की दूरी होगी जहाँ से मैंने उन्हें पहली बार देखा था। घटना के समय इन्वर्टर से चलने वाली बत्ती जल रही थी। मैंने अभियुक्त व्यक्तियों को इन्वर्टर की रोशनी में देखा था।

2 - मेरे ससुर मौसम खान बरामदे में खाट पर नमाज पढ़ रहे थे। सभी आरोपी व्यक्ति जो उपस्थित हैं अदालत ने मौसम खान पर चाकू और चूड़ी (छोटे चाकू) से वार करना शुरू कर दिया और उसकी हत्या कर दी। जब सुना जाता है कि

मौसम खान, मुस्कान की आवाज़ आई, फिर ये चार लोग

उसके पीछे भाग गए और इन चार अभियुक्तों ने उसे बरामदे में मार डाला। इसके बाद उन्होंने मेरी सास असगरी और समद की हत्या कर दी। उनकी चिल्लाहट सुनकर शौकीन खान छत से नीचे आ गया। इन चार लोगों ने शौकीन खान को पकड़ लिया और उसे भी मार डाला। शौकीन खान का चिल्लाना सुनकर उसकी पत्नी शन्नो नीचे आ गई तो ये चारों आरोपी उसके पीछे छत पर भाग गए और इन चारों ने छत पर चढ़कर उसकी भी हत्या कर दी। मैंने यह सारी घटना उस जगह की छाया में देखी थी जहां भैंसें बंधी हुई हैं और बाथरूम के पास है। घटना को अंजाम देने के बाद ये चारों आरोपी वहां से भाग गए थे। इन अभियुक्तों के भागने के बाद मैं आया।

जिस स्थान पर मैं छिपा हुआ था, वहाँ से बाहर निकलकर मैंने और मेरे जीजा अली शेर ने घर से बाहर आने के बाद शोर मचाया था। लोग।

गाँव के लोग हमारे द्वारा लगाए गए अलार्म पर आ गए थे। हम घर के अंदर गए और देखा कि सभी लोग मर चुके थे। 3 - मोमीन खान और मेरे ससुर मौसम खान के बीच भट्टे को लेकर विवाद था। मोमीन भट्ठा चलाना चाहता था लेकिन मेरे ससुर मौसम खान मोमीन को भट्ठा देने को तैयार नहीं थे। 2-3 घटना से कई साल पहले, मोमीन ने भट्ठा चलाया था और उसने मौसम खान को विवरण नहीं दिया था। मौसम खान ने मोमीन से भट्टे का प्रभार ले लिया था और इसी वजह से वह गुस्से में था।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4 - आरोपी साजिद आरोपी मोमीन का भतीजा है। जयकम मोमीन का चचेरा भाई है। नज़रा मोमीन की पत्नी है। द.

चार आरोपी एक ही समूह के हैं।

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान के अनुसार, चारों आरोपी लगभग 8:30 बजे उनके घर के परिसर में घुस गए।

अपराह्न। उनके अनुसार, उन्होंने उन्हें तब देखा जब वह रसोई में थे। इन सभी अभियुक्तों के हाथों में चाकू थे। उनके अनुसार, सबसे पहले उन्होंने बरामदे में सो रहे उनके पिता मौसम खान पर हमला किया। वह रसोईघर के कमरे से भी यही देख रहा था। उसके पिता की आवाज़ सुनकर उसकी भतीजी मुस्कान दौड़ती हुई आई और फिर ये चारों आरोपी उसके पीछे भागे और उसे भी अपने हाथों में चाकू लेकर काट दिया। उनकी माँ असगरी और भतीजे समद भी उसी बरामदे में थे जहाँ मुस्कान पर हमला किया गया था। अभियुक्तों ने उन्हें चाकू से भी काट दिया। शोर-शराबा सुनकर उसका बड़ा भाई शौकीन खान ऊपर से नीचे आया और आरोपी ने उसे भी गेट के पास मार डाला। उसकी साली शन्नो, जो शोर-शराबा सुनकर नीचे आई थी, को भी ऊपर जाते हुए लोगों ने मार डाला। उनके अनुसार, उनके बहनोई पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद कहीं और छिपे हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोपी अपराध करने के बाद भाग गए थे।

हत्या। घटना के बाद, वह अपने बहनोई पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के साथ पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज कराई।

27. पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के अनुसार, घटना के दिन यानी 23 जनवरी, 2014 को वह अपने ससुर के घर आया था।

बंधी हुई, जो बाथरूम के बगल में है। सभी अभियुक्तों के हाथों में चाकू थे। उनके अनुसार, उनके ससुर मौसम खान बरामदे में खाट पर नमाज पढ़ रहे थे। सभी अभियुक्तों ने मौसम खान पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मौसम खान की आवाज सुनकर मुस्कान बाहर आई, फिर आरोपी उसके पीछे भागा और बरामदे में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद, उन्होंने उसकी सास असगरी और समद की हत्या कर दी। उनकी चीत्कार सुनकर शौकीन खान छत से नीचे आ गया। आरोपी ने शौकीन खान को पकड़ लिया और उसकी भी हत्या कर दी। शौकीन खान के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी शन्नो नीचे आ गई, फिर आरोपी उसके पीछे छत पर भागा और छत पर चढ़कर उसकी भी हत्या कर दी।

28. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद दोनों गवाह हैं, जो मृतक के साथ-साथ आरोपी नंबर 1-मोमीन खान के निकट संबंधी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केवल इसलिए कि गवाह इच्छुक और संबंधित गवाह हैं, यह उनकी गवाही पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है। हालांकि, ऐसे गवाहों की गवाही की जांच उचित सावधानी और सावधानी के साथ की जानी चाहिए। इस तरह के साक्ष्य की जांच करने पर गवाह, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो न्यायालय पर ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करने में कोई बाधा नहीं है।

29. इस प्रस्ताव के लिए, हम प्यारा सिंह और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। पंजाब राज्य 1:

" 4. ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

केवल एक पक्षपातपूर्ण साक्ष्य होने के आधार पर। यदि साक्ष्य के अवलोकन पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि साक्ष्य श्रेय के योग्य है तो न्यायालय में उक्त साक्ष्य पर भरोसा करने पर कोई रोक नहीं है।

30. हम अनिल फूकन बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। असम राज्य 2:

अदालतों को पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह को केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हालांकि, जहां एकल चश्मदीद गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं पाया जाता है, इस अर्थ में कि कुछ परिस्थितियां हैं जो यह दिखा सकती हैं कि अभियोजन में उसकी रुचि हो सकती है, तो अदालतें आम तौर पर उसकी कुछ स्वतंत्र पुष्टि पर जोर देती हैं। गवाही, भौतिक विवरणों में, दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले। यह केवल तभी होता है जब अदालतों को पता चलता है कि एकल चश्मदीद गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह है कि उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है और कोई भी पुष्टि उस दोष को ठीक नहीं कर सकती है। इन तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में ही हम पीडब्लू 3 अजय की गवाही की जांच करेंगे।

1 (1977) 4 एससीसी 452 2 (1993) 3 एससीसी 282 [2021] 14 एस. सी. आर.

4. अजय पी. डब्ल्यू. 3, अपने स्वयं के प्रदर्शन पर, मृतक का भतीजा है।

वह मृतक के साथ घटना स्थल पर गया था। जब बाद वाला अपीलार्थी अनिल से ऋण वसूलने गया।

इसलिए यह गवाह मृतक का रिश्तेदार है और

इच्छुक गवाह। बेशक, केवल के साथ संबंध

मृतक अपनी गवाही को त्यागने का कोई आधार नहीं है, यदि यह अन्यथा है।

विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया गया। सामान्य क्रम में

घटनाएँ, एक करीबी संबंध को छोड़ने वाला अंतिम व्यक्ति होगा अपने चाचा का असली हमलावर और एक झूठे व्यक्ति को फंसाता है।

हालाँकि, इस बात की संभावना है कि वह कुछ को भी शामिल कर सकता है

असली हमलावर के साथ निर्दोष व्यक्ति पर फैसला नहीं किया जा सकता है। और इसलिए, विवेक के मामले के रूप में, हम देखेंगे

उनकी गवाही की कुछ स्वतंत्र पुष्टि, निर्णय लेने के लिए

अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में। तब से,

अजय पीडब्लू 3 के आचरण में कुछ संदिग्ध पहलू हैं,

कुछ सबूतों के बिना उसके सबूत को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा। स्वतंत्र पुष्टि, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य।

[जोर दिया गया]

31. निर्विवाद रूप से, दोनों पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान

मोहम्मद गवाह हैं, जो मृतक और आरोपी नंबर 1-मोमीन खान के निकट संबंधी हैं। इसलिए, हम पाते हैं कि उनके साक्ष्य की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच करना आवश्यक होगा।

परिवीक्षण।

32. भले ही पी. डब्ल्यू. 1 का सबूत-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान

मोहम्मद को इसके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, अभियुक्तों ने अलग-अलग स्थानों पर छह मृतकों की हत्या कर दी है। पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार-अली

शेर खान, आरोपी नंबर 1-मोमीन खान का घर 15 कदम है।

उस जगह से दूर जहाँ वह परिसर में छिपा हुआ था। उनके अनुसार, जिस घर में यह घटना हुई थी, वहां कुल 5 कमरे हैं

जगह। उन्होंने अपनी जिरह में कहा है कि शौकीन खान की हत्या घर के आंगन में की गई थी और उनके पिता मौसम खान की बरामदे में हत्या की गई थी। बरामदे में उनकी भतीजी मुस्कान की भी हत्या कर दी गई थी। उनकी माँ-असगरी और भतीजे समद की जयकाम खान बनाम में हत्या कर दी गई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

जो रसोईघर से 15 कदम दूर है, जबकि मृत शन्नो

ऊपर एक कमरे में हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे स्वीकार किया है किकहा गया कमरा रसोई से नहीं देखा जा सकता है और उक्त कमरे का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है।

33. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान के बयान का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

क्रॉस-परीक्षा।

" साइट का नक्शा पुलिस ने मेरे इशारे पर तैयार किया था। मेरे घर में एक आंगन है। दक्षिण में एक कमरा बनाया गया है

आँगन जिसका दरवाज़ा आँगन में खुलता है। कमरा।

जिसे मैंने दक्षिण में बताया है वह एक रसोईघर है। इस रसोई का द्वार

उत्तर में खुलता है। पश्चिमी दीवार में एक द्वार है आंगन "।

34. यह आगे निम्नलिखित बयान को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा

डब्ल्यू. 9-ब्रह्मेश कुमार यादव, अर्थात आई. ओ.

" मैंने 24.1.14 पर घटना के दिन स्थल-मानचित्र तैयार किया था। आई.

किस समय मैंने स्थल-मानचित्र तैयार करना बंद कर दिया। मुझे याद नहीं है कि मैंने साइट मैप में शिकायतकर्ता के छिपने की जगह को चिह्नित किया था या नहीं। यह कहना सही है कि वह स्थान, जहाँ से मामला-शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों को छिपाने और देखने के लिए कहा है,

का दृश्य " 35. पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य का अवलोकन-अली शेर खान और

पी. डब्ल्यू. 9 की शुरुआत से-ब्रह्मेश कुमार यादव ने खुलासा किया कि पहला लैन (प्रदर्शनी का-51) पी. डब्ल्यू. 9 द्वारा तैयार किया गया था-ब्रह्मेश कुमार यादव

डब्ल्यू. 1-अली शेर खान विवरण की ओर इशारा कर रहे हैं।

36. तीनों स्थल-योजनाओं को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।

एच निम्नानुसार हैः

-230

257714 सतीश स्ट्रीमेट एंड कैम क्राइम नं. के डब्ल्यूएस 3 ई 2 प्रेलगुइड्स।

236

ब्रॉल्ड रिंगहोथॉर्स्ट क्लैंटन

टीएचई

वीओएम

फॉर्म

इंडो

टोगाडे! उन्माद।

सोने के सिक्के

बी.

- 1 वी.

हिप हैम। जारेन्स

@

बिटलियम्स

↓↓

3 %

7

+

→

· 101 / 162 20 स्टॉप

फिले

वर्टलगिंक

बेमिन

0

3

शीर्षक

एल.

न.

राष्ट्रीय

सेवियन का रास्ता

-17

हाउ जब्बार वाई/ओ रिटेंटस

हो लिक्लौस

दीवार में जिसका अर्थ (illes.ble) फेल्कबोन पिल्कास, लक्का मार्ग में है घर। लेजिंग व्हाइट चॉव में है। शौकीन के प्रत्यारोपण को इस बिंदु तक बताया गया था कि डार्ड बॉडी खान उम 1303 नंबर ऑफ़ मनसन बिलान एस/ओ शकीरी मिस प्रिंट और डेड बॉडी सेकंड फ्लो द वर्सा। उस सीमल पर जिसे सेन कहा जाता है, बेजोम डब्ल्यू/ओ शांतसिन टायिंग को मेरा होने के लिए टाल देंगे-- ● D/o Sagheer kvoyato von dold I रेतीले शरीर में मौसम क्लोर डिगरी 11/0 वैन के थर्म में एक ओस के शरीर को खोदते हुए पकड़ती है वह कुछ पेन फाल्ड एड फ़िलगिल "द डिसीसिड" लेने के लिए आई डियर्ड से प्रशंसा की वापसी करती है। क्यों 1.14

6 . का। 51 पीडब्लू-9/मई) 321 फोर्ड 22 /

19.08 15 78

काम खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

ए.

231 क़िशाहा 0/6302 आई. पी. सी. पी. एस. नामुरो केस कैमे नंबर 25/14। हथियार वेन्स ऐसे स्थान जहाँ से मिट्टी निकलती है •

237-70 / 2

बी.

इथ

डब्ल्यू ते 3

रीसा! • बोसम

शैंकीन

एफओटी

कार्सेना का क्षेत्र

एफ. ई.

डब्ल्यू/ओ टॉसिन

केएम

उबेम

जोवेम।। कृमि

वोरोन्डा

. -1

सी.

नामदल वोउंदाह

चौक।

भुगतान करें

रीम

को

मोक्लीयन

मेरा

चौक

डी.

गाँव का पक्का पाठ

: / 0 चहत खान जाबहर के हमारे

जहाँ से हत्या का हथियार है

द.

ई.

सीढ़ियों के नीचे से बरामद किया गया

द्वारा

एड मोमीन। जहाँ कफ मिला था वहाँ घूम रहा था। जयकोम से जगह। सेमी द्वारा शैंकीन का दूरी क्षेत्र

ए तक पहुँचने के लिए 10 कदम हैं: हत्या के हथियार का चाकू वह स्थान जहाँ से सईद ने अपनी ओर इशारा करते हुए सा कदम बरामद किए थे। सी एफ के बारे में है

आर से दूरी

बैक गैट्स का मार्ग।

एस. डी./अवैध

जी.

28/1/14

एक्स के-52

पीडब्लू-9

एडविलेजिबल

एस. डी./गिलगिबल

03/01/16

एच. अदालत की पूर्व रिपोर्ट

[2021]

232

स्थल-योजना

सी. सी. नं. 26/14 यू/एस +/25 ए प्रिक्ट बनाम मोमीन

पुलिस थाना नरौना

जेडए

1 पोल्ट्री फार्म ब्रसेम शौकीन फील्ड 2 कमरे का कमरा कमरा वाज़ंदाह वरंदा वरंदन एन

3

बी.

कैनस

डब्ल्यू/डी

द्वार।

आसन

कदम

पेसी ओयार्टिन

पीछे।

4

वरंदा

छाया।

KO-45/EX -

€ डब्ल्यू. 7

मवेशी।

एस. डी./1 एफ. एफ. ए. डी.

पक्का रोड

कैल्कोल

01/07/201

111 विज्ञापन AS3

जब्बार एस/ओ चाहद खान का घर

□ स्थान ए वह स्थान है जहाँ से यह मुक्त होता है।

गवाह द्वारा हत्या का हथियार प्राप्त करने के लिए।

दाव (चाकू) को नीचे आरोपी मोनिन खा द्वारा कवर किया गया है

स्टविन।

बर्फ वह स्थान है जहाँ से हत्या का हथियार (खेत से चाकू) प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी गवाह है। आई से दूरी लगभग 10 कदम।

• © यह वह जगह है जहाँ से यह आया है

साजिद को मुक्त करने के लिए एक चाकू पाने के लिए गवाह।

डी आई

एस. डी. एल./ग्लेबीबल जालिन

एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर एकर
एकर

38. पहला स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-51) उन स्थानों को दर्शाता है जहाँ मृतकों के शव पाए गए थे। उक्त साइट पर क्रम संख्या 1 योजना वह स्थान है जहाँ मृतक शौकीन खान का शव मिला था। सीरियल नंबर 2 वह स्थान है जहाँ मृतक मौसम खान का शव मिला था। सीरियल नंबर 3 वह स्थान है जहाँ मृतक शन्नो बेगम का शव मिला था। सीरियल नंबर 4 वह स्थान है जहाँ मृतक मुस्कान का शव मिला था। सीरियल नंबर 5 वह स्थान है जहाँ मृतक असगरी का शव मिला था। सीरियल नंबर 6 वह स्थान है जहाँ मृतक समद का शव मिला था। उक्त स्थल-योजना में तीर के निशान उस दिशा को दर्शाते हैं जिसमें आरोपी पिछले द्वार से भाग गया था। यह देखा जाना चाहिए कि उक्त स्थल-योजना में दक्षिणी तरफ का कमरा नहीं दिखाया गया है।

39. दूसरा स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-52) क्षेत्र से अभियुक्त के कहने पर बनाए गए हथियारों की बरामदगी के संबंध में है। मृतक शौकीन खान।

40. तीसरा स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-45), जो शस्त्र अधिनियम की धारा 25/4 के तहत 2014 के केस क्राइम No.26 के संबंध में तैयार की गई है,

41. एग्ज़िबिट का-52 और एग्ज़िबिट का-45 की पिछली दो योजनाओं में दक्षिणी तरफ एक कमरा दिखाया गया है। 42. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान के साक्ष्य के अनुसार, जिस कमरे में उन्होंने दक्षिण में खुद को छुपाया था, वह रसोईघर है। उनके साक्ष्य के अनुसार,

43. पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के संस्करण के अनुसार, उन्होंने इस घटना को उस स्थान से देखा है जहाँ भैंसों को बांध दिया जाता है, जो है बाथरूम के पास। हालाँकि स्थल योजना में शौचालय नहीं दिखाया गया है, यह मानते हुए कि यह उस स्थान के निकट है जहाँ भैंसों को बांधा जाता है, यह दक्षिण-पश्चिम कोने में होगा।

1] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. पी. डब्ल्यू. 1 की गवाही के अनुसार-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2

जान मोहम्मद, सबसे पहले मौसम खान पर हमला किया गया और बरामदे में उसे मार दिया गया, जबकि मृतक शौकीन खान को कोर्ट-यार्ड में मार दिया गया। मृतक मुस्कान, असगरी और समद पर घर के बीच वाले कमरे में हमला किया गया। इन गवाहों के अनुसार, शन्नो बेगम पर ऊपर से हमला किया गया था। यदि इन दो गवाहों के बयान की तुलना स्थल-योजनाओं से की जाती है, तो जो स्थिति सामने आती है, उससे पता चलता है कि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान

प्रथम स्थल-योजना (प्रदर्शनी का-51) के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि मृतक मुस्कान, समद और असगरी के शव थे घर के अंदर, और मृतक शन्नो बेगम का शव ऊपर था, यह विश्वास करना मुश्किल है कि इन दो गवाहों ने आरोपी को शन्नो बेगम, मुस्कान, असगरी और समद पर हमला करते हुए भी देखा होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पी. डब्ल्यू. 9-ब्रह्मेश कुमार यादव ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद ने उन्हें अपने गुप्त ठिकानों के बारे में नहीं बताया था और इसलिए स्थल-योजना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

45. इसलिए हमारा विचार है कि इन दोनों गवाहों को केवल दोषसिद्धि के आदेश के आधार पर पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

उनकी गवाही पर। 46. वादिवेलु थेवर और एक अन्य v के मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित अवलोकन का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। राज्य की

मद्रास 3:

" 11 ..... इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से। आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही

इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय। (3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

3 (1957) एस. सी. आर. 981 जयकम खान बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

सबूत की पहली श्रेणी में, अदालत को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी तरह से दोषी ठहराए।

या एकल गवाह की गवाही पर बरी हो सकता है, यदि यह पाया जाता है

निन्दा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर होना। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है। यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि अदालत को चौकस रहना होगा और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी।

47. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, हमारा विचार है कि हालाँकि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान पर हमले को देखा जा सकता था। मृतक शौकीन खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद ने मृतक शौकीन खान और मृतक मौसम खान पर हमले को देखा होगा, यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अन्य चार मृत व्यक्तियों पर हमले को देखा होगा। हमारा यह भी विचार है कि उक्त गवाहों को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। वे 'न तो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय' की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार, हमारा विचार है कि अधिक सावधानी और सावधानी की आवश्यकता होगी और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि करना आवश्यक होगा।

दोषसिद्धि का आदेश। 48. इसलिए, हम अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर अन्य परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक समझते हैं। अभियोजन पक्ष जिन अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वे इस प्रकार हैं:

घटना के तुरंत बाद आरोपी की गिरफ्तारी;

ए.

कथित रूप से उपयोग किए गए हथियारों की बरामदगी

बी.

अभियुक्त के कहने पर अपराध। कथित तौर पर खून से सने कपड़ों की बरामदगी

सी.

अपराध करते समय अभियुक्त द्वारा पहना गया। प्रेरक।

डी.

अब हम प्रत्येक परिस्थिति के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए साक्ष्य पर विचार करेंगे।

ए. घटना के तुरंत बाद आरोपी की गिरफ्तारीः

49. जहाँ तक अभियुक्त की गिरफ्तारी की बात है तो सं। 1 , 3 और 4 का संबंध है, पी. डब्ल्यू. 9-ब्रह्मेश कुमार यादव (आई. ओ.) का कहना है कि लिखित [2021] 14 एस. सी. आर. के आधार पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2014 का अपराध No.25 दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह तुरंत बल के साथ शिकायतकर्ता के घर पहुंचे। वहाँ बहुत भीड़ थी। उन्होंने शिकायतकर्ता पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि जब वे घटनास्थल पर थे

पुलिस बल के साथ घटना, उन्हें मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली कि उपरोक्त मामले के आरोपी राजघाट पर मौजूद थे चौराहा कहीं जाने का मौका ढूंढ रहा है। इस पर निर्भर

जानकारी के अनुसार, जब वे राजघाट चौराहा पहुंचे तो पैसेंजर शेड में तीन लोग थे। मुखबिर उन तीन लोगों को दिखाकर चला गया और उन्होंने उन्हें 24 जनवरी, 2014 की सुबह 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने नाम का खुलासा मोमीन खान, जयकाम खान और साजिद के रूप में किया। उसके अनुसार, अभियुक्तों ने कहा कि उन्होंने नाज़रा के साथ मिलकर उन छह हत्याओं को अंजाम दिया था और सभी अभियुक्तों ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन हथियारों को फेंक दिया था जिनसे उन्होंने अपराध किया था और वे उन्हें बरामद कर सकते हैं। उनके आगे के साक्ष्य उन हथियारों की बरामदगी के बारे में बताते हैं, जिनके साथ हम इस फैसले पर बाद में विचार किया जाएगा। वह आगे कहता है कि जब वे आरोपी के साथ पुलिस स्टेशन लौट रहे थे, घटना स्थल पर कुछ पुलिसकर्मियों को पीछे छोड़ रहे थे, तो आरोपी नंबर 2-नज़रा, राजघाट चौराहा पर मिला, जिसे देखकर मोमीन खान (ए-1) ने कहा कि वह उसकी पत्नी थी। उन्हें सुबह 6:40 बजे गिरफ्तार किया गया और सभी को पुलिस के सामने पेश किया गया।

24 जनवरी, 2014 को सुबह 6.5 बजे स्टेशन।

50. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उन्हें नहीं पता कि राजघाट की सड़क उनके घर से कितनी दूर है। उन्होंने आगे कहा कि कहते हैं कि वह अनुमान लगाकर भी नहीं कह सकते।

51. पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि मृतक मौसम खान का घर एक फरलोंग की दूरी पर है।

राजघाट रोड से। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि एक फरलोंग का मतलब आधा किलोमीटर है। 52. इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपी संख्या। 1 , 3 और 4 लोग राजघाट चौक पर इंतजार कर रहे थे, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है।

घटना स्थल से, पुलिस के आने और उन्हें गिरफ्तार करने का इंतजार करते हुए। कथित मुखबिर का न तो नाम लिया गया है और न ही उससे पूछताछ की गई है। यह विश्वास करना और भी कठिन है कि आरोपी नंबर 2-नज़रा गाँव में घूम रहा था और संयोग से सुबह 6:40 बजे पी. डब्ल्यू. 9-ब्रह्मेश कुमार यादव (आई. ओ.) के साथ रास्ता पार कर गया, जब वह वापस आ रहा था। अन्य अभियुक्तों के साथ पुलिस स्टेशन।

53. इस संबंध में पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद की गवाही का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

" जब हम रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस स्टेशन गए, तो मोमीन और नाज़रा के साथ-साथ जयकम और साजिद भी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे।

लिखित रिपोर्ट के अनुसार, मोमीन खान (ए-1), नाज़रा (ए-2), जयकम खान (ए-3) और साजिद (ए-4) पहले से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध 23 जनवरी, 2014 को 10.00 पर दर्ज किया गया है। जब पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद दोनों उपस्थित थे। अगर पी. डब्ल्यू. 2 का संस्करण-जान मोहम्मद, कि चारों

जब वे एफ. आई. आर. दर्ज करने गए थे, तब आरोपी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, माना जाता है, फिर आरोपी की गिरफ्तारी संख्या। 1 , 3 और 24 जनवरी, 2014 को सुबह 2 बजे 4 और उसी दिन सुबह 6:40 बजे आरोपी नंबर 2 की गिरफ्तारी, कम से कम कहने के लिए, रहस्यमय है।

बी. अभियुक्त के कहने पर अपराध में कथित रूप से उपयोग किए गए हथियारों की बरामदगी।

55. हम अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में उक्त ज्ञापन में इस पहलू पर पहले ही विचार कर चुके हैं। उक्त ज्ञापन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार पढ़ता है:

" उपरोक्त तीन व्यक्तियों से घटना के बारे में पूछा गया, मोमीन खान ने बताया कि उनका अपने पिता के साथ इस बात को लेकर विवाद था विभाजन। शुरू में वह भट्ठा चलाते थे, बाद में इसे शौकिन खान को दे दिया गया। उसकी रोजी-रोटी के साधन खत्म हो गए, वह मुसीबत में था। जयकम और साजिद की अपने भाइयों के साथ दुश्मनी थी। इस प्रकार उसने जयकम और साजिद की मदद ली और अपने माता-पिता और शौकिन के परिवार को उनकी गर्दन, सिर और मुंह पर गंभीर चोटों के बाद सुनियोजित तरीके से मार डाला। उन्होंने घर और खेत के पीछे चाकू फेंके थे जिससे वे मारे गए थे। अभियुक्तों ने बताया कि वे हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर सकते हैं। हम [2021] 14 एस. सी. आर. की बरामदगी की उम्मीद में उपरोक्त सभी अभियुक्तों के साथ पिलखाना गाँव में शौकिन के घर आए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस्तेमाल किया गया हथियार। तीनों आरोपी एक ही परिसर में रहते हैं। मोमीन आगे बढ़ा, बीच के घर में प्रवेश किया जहाँ उसकी माँ सोती थी और सीढ़ियों के नीचे कचरे से खून से सने लकड़ी के हैंडल के आसपास 7 उंगलियों और ब्लेड के आसपास 1 बालिश 1 उंगली के साथ एक डाव निकाला। उसने लगभग 3 बजे हथियार सौंप दिया और बताया कि उसने इससे मौत को जन्म दिया।

फील्ड यूनिट मौके पर है, तस्वीरें खींची गईं। सार्वजनिक गवाहों खेमकरन एस/की उपस्थिति में हथियार की बरामदगी की गई ओ तारा सिंह, विलाल बेटा उस्मान खान बेटा पिलखाना। एक अन्य आरोपी जयकम पुत्र जाफर खान अपने घर के पीछे के मैदान में आगे बढ़ा और उसे 1 बालिश 6 उंगलियों के हैंडल का चाकू मिला।

लगभग 3 बजे उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति में बरामद किया गयाः 15

ओ 'क्लॉक और कहा कि वह उसी के साथ मौत का कारण बना। इसका

तस्वीर खींची गई और फिंगरप्रिंट लिया गया और कुछ समय बाद फिंगरप्रिंट टीम चली गई। बहुत समय बाद आरोपी साजिद शौकिन के घर के पीछे के मैदान में चला गया और 1 बालिश 5 उंगलियों का चाकू निकाला। इसका ब्लेड प्लास्टिक के चाप से सुसज्जित है। उन्होंने इसे बरामद कराया और कहा कि उन्होंने इसके साथ मौत का कारण बना। द. उपरोक्त तीन चाकू खून से सने थे। इस प्रकार ब्लेड था

एक सूती कपड़े में लपेटकर, अलग-अलग कपड़ों में रखा गया, सील कर दिया गया और मौके पर मुहर लगा दी गई और नमूना मुहर तैयार की गई। मेमो मेरे द्वारा एच. सी. पी. सदर सिंह को बिजली और मशाल की रोशनी में निर्देशित किया गया था और दस्तावेज़ तैयार किए गए थे।

हालांकि ज्ञापन से पता चलता है कि उक्त बरामदगी सार्वजनिक गवाहों के सामने की गई थी, लेकिन किसी भी सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। पुलुकुरी कोट्टय्या और अन्य बनाम के मामले में प्रसिद्ध निर्णय ई प्रिवी काउंसिल को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

सम्राट

... निर्माण के सामान्य सिद्धांतों पर उनके अधिपति सोचते हैं

कि धारा 26 का परंतुक, धारा द्वारा जोड़ा गया है। 27 , धारा के सार को रद्द करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। उनके लॉर्डशिप्स के विचार में खंड के भीतर "खोजे गए तथ्य" को उत्पादित वस्तु के बराबर मानना गलत है; खोजे गए तथ्य को स्वीकार करता है।

जिस स्थान से वस्तु प्रस्तुत की जाती है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है।

जिसमें इसकी खोज की गई है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी

यह अभिरक्षा कि "मैं अपने घर की छत में छुपा कर एक चाकू लाऊंगा" एक चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाती है; चाकू कई साल पहले खोजे गए थे। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि सूचना देने वाले के घर में उसके ज्ञान के अनुसार एक चाकू छुपाया जाता है, और यदि चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया साबित होता है, तो पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान में "जिसके साथ मैंने ए को चाकू मारा" शब्द जोड़े जाते हैं, तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे सूचना देने वाले के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।

56. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, चूंकि उक्त ज्ञापन का समर्थन करने के लिए किसी भी सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए उसमें दिए गए बयान की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। सभी अपराध को स्वीकार करने के संबंध में उसमें दिए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होंगे। केवल ऐसी जानकारी, जो स्पष्ट रूप से तथ्यों की खोज से संबंधित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगी। पी. डब्ल्यू. 9-ब्रह्मेश कुमार यादव (आई. ओ.) के साक्ष्य से पता चलता है कि एफ. आई. आर. दर्ज होने के तुरंत बाद, वह आगे की जांच के लिए घटना स्थल पर आया था। उनके अनुसार, आरोपी नं. 1 , 3 और 4 को 24 जनवरी, 2014 को लगभग 2 बजे गिरफ्तार किया गया। उनके अनुसार, पुलिस दल भी मौके पर मौजूद था। कथित बरामदगी में से एक उस कमरे से है जहाँ मृतक असगरी सोता था। अन्य दो बरामदगी मृतक शौकीन खान के घर के ठीक पीछे खुले मैदान से हुई है, यानी घटना स्थल। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वसूली उन स्थानों से की गई थी, जो सभी के लिए सुलभ थे और इस तरह की वसूली पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी।

ग. अपराध करते समय अभियुक्त द्वारा कथित रूप से पहने गए रक्तरंजित कपड़ों की बरामदगी।

57. रक्तरंजित कपड़ों की वसूली ज्ञापन (का-34 प्रदर्शित करें)

यह पढ़ने के लिए भी दिलचस्प है। उपरोक्त ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस दल आरोपी नंबर 1 के तीन बेटों और दो बेटियों-मोमीन खान और आरोपी नंबर 2-नज़रा के साथ आरोपी नंबर 1-मोमीन खान के घर आया था। उस स्थान पर, हिना @यास्मीन, आरोपी नंबर 1 की बेटी-मोमीन खान और आरोपी नंबर 2

नाज़रा, अपने दादा-दादी की उपस्थिति में। , अखलाक और शकीला और पड़ोसियों जब्बार और किशन चंद्र और अन्य ग्रामीणों ने उसे [2021] 14 एस. सी. आर. खोला।

घर ले गया और उसका सामान बाहर निकाल लिया। उस समय मौमिन ने कमरे में बिस्तर के नीचे कुछ कपड़े देखे। कपड़ों को देखकर, कई ग्रामीणों ने पहचान की और बताया कि कपड़े वही थे जो मोमीन खान (ए-1) और अन्य लोगों ने 23 जनवरी, 2014 की शाम को पहने थे। कपड़ों की अलग-अलग पहचान की गई, जिसमें मोमीन खान (ए-1) ने नीले रंग की जींस और काले और सफेद वर्ग वाली नीली शर्ट पहनी हुई थी, जयकम खान (ए-3) ने क्रीम रंग का कुर्ता और भूरे रंग का मुद्रित रेडीमेड स्वेटर पहना हुआ था, साजिद (ए-4) ने हल्के काले रंग की पैंट और हल्के पीले, लाल काले रंग की मुद्रित शर्ट पहनी हुई थी और नज़रा (ए-2) ने हल्के लाल रंग का मुद्रित सलवार कुर्ता पहना हुआ था। 58. अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, आरोपी परिसर के पिछले द्वार से भाग गया था, जो उत्तर की ओर है। पीडब्लू. 1-अली शेर खान के साक्ष्य के अनुसार, मोमीन खान (ए-1) का घर घटना स्थल से कुछ कदम की दूरी पर है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद कई ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे। इन परिस्थितियों में, यह फिर से एक रहस्य है कि कैसे चारों आरोपी मौके से भाग गए, उक्त स्थान पर वापस आए, अपने कपड़े बदले और फिर से चले गए। यह भी एक रहस्य है कि आरोपी नंबर कैसे। 3 और 4, जो मोमीन खान (ए-1) के घर में नहीं रहते हैं, उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे और उन्हें मोमीन खान (ए-1) के घर में रखा था। यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट अनिर्णायक हैं, इस पर संदेह की एक बड़ी छाया पैदा करती है

उक्त वसूली की वास्तविकता। किसी भी मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के ज्ञापन पर उक्त कपड़े बरामद नहीं किए गए हैं और इस तरह, उक्त परिस्थिति का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता था।

डी. प्रेरणा

59. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य और चश्मदीद गवाह के विश्वसनीय, विश्वसनीय और ठोस पाए जाने के मामले में अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के उद्देश्य को साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही ऊपर अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि चश्मदीद गवाहों की गवाही को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, उद्देश्य पहलू एक प्रासंगिक कारक होगा।

60. अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य

अपराध एक ओर अभियुक्त नंबर 1-मोमीन खान और दूसरी ओर मृतक मौसम खान, मृतक शौकीन खान और पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान के बीच ईंट भट्टे के प्रबंधन को लेकर विवाद के संबंध में था। एफ. आई. आर., पी. डब्ल्यू. 1-में अली शेर खान ने कहा है कि जयकाम खान बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

अभियुक्त नं. 3 और 4 को उसके व्यवसाय से जलन होती थी और जमीन पर ईंट बिछाने के लिए भी मामला दर्ज किया गया था। यह आगे कहा गया है कि तब से, परिवार के बीच दुश्मनी बढ़ गई और छोटे भाई मोमीन खान (ए-1) अपने चाचा के बेटे जयकम खान (ए-3) के साथ शामिल हो गए और

जयकम खान (ए-3) का बेटा साजिद (ए-4)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ. आई. आर. सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, हालांकि, यह पहले सूचना देने वाले की विश्वसनीयता की जांच के लिए प्रासंगिक होगा। हालाँकि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मोमीन खान (ए-1) का उनके साथ मतभेद था, लेकिन मोमीन खान (ए-1) का अपने माता-पिता और भाइयों के साथ मतभेद का कारण, ईंट-भट्टे से अर्जित धन का लेखा नहीं देना था।

उनके लिए। उन्होंने आगे कहा है कि उनके पिता, मृतक मौसम खान ने 2010 में मोमीन खान (ए-1) को ईंट-भट्टे के कर्तव्य से मुक्त कर दिया था और तब से मोमीन खान (ए-1) के खिलाफ दुश्मनी थी। उन्होंने आगे कहा है कि उसी ईंट-भट्टे के कारण, आरोपी संख्या। 2 , 3 और 4, अर्थात। , क्रमशः नाज़रा, जयकाम खान और साजिद ने भी उनके खिलाफ दुश्मनी जताई।

61. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके साथ मोमीन खान और उनके परिवार का विवाद था।

ईंट-भट्टे की संपत्ति पर। उक्त विवाद खातों के विवरण को लेकर था। उन्होंने स्वीकार किया है कि आरोपी संख्या। 3 और 4 का अपने पिता दिवंगत मौसम खान के ईंट-भट्टे के संबंध में कोई लेना-देना नहीं था। पी. डब्ल्यू. 1 अली शेर खान के साक्ष्य के मूल हिंदी संस्करण का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार हैः

“

यह बात सही है कि यह काम नहीं है।

62. पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कृषि भूमि में उनके पिता के बीच हिस्सेदारी है।

मृतक मौसम खान और जयकम खान (ए 3) के पिता जफर खान अलग थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि जफर खान और उनके चार बेटों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं और उन्होंने देखा है कि खतौनी को जफर के बेटों, जयकम खान और यामीन के नाम पर दर्ज किया गया था।

63. पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के प्रतिपरीक्षा में प्रवेश का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" यह सही है कि जयकाम खान और साजिद खान का मौसम खान के साथ कोई विवाद नहीं था। यह भी सही है कि मौसम खान और अलीशर के भट्टे में जयकम खान और साजिद खान की कोई साझेदारी नहीं थी। "[2021] 14 एस. सी. आर.

64. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कथित उद्देश्य, यदि कोई हो,

अभियुक्त नंबर 1-मोमीन खान। पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद ने स्वीकार किया है कि जयकम खान (ए-3) और साजिद (ए-4) का मृतक मौसम खान के ईंट-भट्टे के व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि एक तरफ उनके पिता मृतक मौसम खान और आरोपी नं. के बीच ईंट-भट्टे के संबंध में कोई विवाद नहीं था। 3 और दूसरी ओर 4। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान के अनुसार, उनके पिता मृतक मौसम खान और आरोपी नंबर 1-मोमीन खान के बीच विवाद

ईंट-भट्टे के संबंध में वर्ष 2010 में हुआ था। हालांकि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान ने अपनी जिरह में कहा है कि उनके बारे में गरमागरम बहस

मोमीन खान (ए-1) और उनके पिता मृतक मौसम खान के बीच ईंट-भट्ठा हुआ, पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है, जिससे इस तरह के नृशंस कृत्य को उकसाया जा सके। इसके विपरीत, उन्होंने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि हालांकि उनके पिता मृतक मौसम खान और मोमीन खान (ए-1) के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन मोमीन खान (ए-1), मृतक के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। शौकीन खान और खुद। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि निर्णय रिश्तेदारों के माध्यम से लिए गए थे लेकिन मोमीन खान (ए-1) ने इसे स्वीकार नहीं किया।

65. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जयकम खान (ए-3) और साजिद (ए-4) के संबंध में अभियोजन पक्ष कोई मकसद साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

और जहाँ तक मोमीन खान (ए-1) का संबंध है, वह किसी भी मजबूत उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है। 66. बात यहीं खत्म नहीं होती। अभियोजन पक्ष के मामले में कई अन्य विसंगतियां और खामियां हैं।

67. पीडब्लू. 1-अली शेर खान और पीडब्लू. 2-जान मोहम्मद के अनुसार, घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। चूँकि अभियोजन पक्ष की ओर से जांचे गए गवाह इच्छुक गवाह हैं, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की जाती है।

स्वतंत्र गवाह, हालांकि उपलब्ध हैं, अभियोजन पक्ष के बयान को संदिग्ध बना देंगे। इस संबंध में संदर्भ पर रखा जा सकता है राजस्थान राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों के बाद। तेजा सिंह और अन्य 3:

" 5. अपीलार्थी के वकील के अगले तर्क के संबंध में कि उच्च न्यायालय यह मानने में गलत था कि अन्य ग्रामीण थे

5 (2001) 3 एस. सी. सी. 147 जयकम खान बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

पीडब्लू 6,7 और 9 के साथ बैठकर, यह मानते हुए कि यह एक त्रुटि है, तब भी इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है जैसा कि अभियोजन पक्ष के मामले से देखा जा सकता है कि अन्य ग्रामीण चाहे पीडब्लू 6,7 और 9 के साथ बैठे हों या नहीं, घटना स्थल पर पहुंचे थे, इसलिए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए उक्त चश्मदीद गवाहों के अलावा कई अन्य ग्रामीणों ने कम से कम घटना के अंतिम हिस्से को देखा होगा जिसमें आरोपी का भाग जाना और आरोपी जो ग्रामीणों के लिए अजनबी नहीं था, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था।

उन स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं करके, अभियोजन पक्ष इच्छुक गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 6,7 और 9 के साक्ष्य का समर्थन करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्र पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिसके कारण उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में उचित था।

68. पी. डब्ल्यू. 9-ब्रह्मेश कुमार यादव (आई. ओ.) के साक्ष्य से पता चलता है कि हालांकि मौके पर उंगलियों के निशान लिए गए थे, लेकिन फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। इसी तरह, उनके आगे के सबूत

इससे पता चलता है कि हालांकि वह डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर आया था, लेकिन डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है। हमारे विचार में, उक्त अभियोजन की वास्तविकता के संबंध में भी संदेह पैदा करता है। मामला।

69. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि हालांकि यह पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद का दावा है कि वे एक साथ हैं।

रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, पी. डब्ल्यू. 4-मनवीर सिंह के साक्ष्य से इसका खंडन किया गया है, जो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल क्लर्क। उन्होंने अपने साक्ष्य में इस प्रकार कहा हैः

" शिकायतकर्ता लिखित शिकायत लेकर थाने आया था। केवल अलीशर ही मेरे साथ पुलिस स्टेशन आया था लिखित
शिकायत। दूसरा कोई नहीं आया था। "

70. इस तथ्य के साथ कि पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के पास मोबाइल फोन थे, लेकिन उन्होंने फोन पर पुलिस को सूचित नहीं किया था, अभियोजन पक्ष के मामले की वास्तविकता के संबंध में भी गंभीर संदेह पैदा करता है। 71. जहां तक श्री विनोद दिवाकर द्वारा रखी गई निर्भरता की बात है, तो ए. ए. जी. ने आरोपी द्वारा बोझ नहीं उठाए जाने और न

उनके द्वारा अपनी धारा 313 Cr.P.C में दिए गए स्पष्टीकरण. बयान का संबंध है, यह साधारण कानून है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन करने के बाद ही, बोझ [2021] 14 एस. सी. आर. होगा।

अभियुक्त के बारे में। जयदेब पात्रा और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करने के लिए इस प्रस्ताव को दोहराना आवश्यक नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्यः

" 10. हम डरते हैं, हम श्री के इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

घोष। इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि साबित करने का बोझ

अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे है अभियोजन और यह केवल तभी होता है जब इस बोझ का निर्वहन किया जाता है कि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपने विशेष ज्ञान के भीतर किसी भी तथ्य को साबित कर सकता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वह दोषी नहीं था।

सुच्चा सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(2001) 4 एस. सी. सी 375: 2001

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 717] इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी पी. 381, पैरा 19)

" 19. हमने बताया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य साबित करने के लिए अभियोजन के बोझ को कम करना नहीं है

अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे है, लेकिन यह धारा उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनके लिए कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के बारे में विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।

इसी तरह, विक्रमजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य [(2006) 12 एससीसी 306 : (2007) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 732] इस न्यायालय ने दोहरायाः (एस. सी. सी पी. 313 ,

पैरा 14)

" 14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने से राहत नहीं देती है। केवल तभी जब अभियोजन पक्ष का मामला साबित हो गया हो, ऐसे तथ्यों के संबंध में बोझ जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में था, उसे स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त को स्थानांतरित किया जा सकता है। बेशक, उक्त नियम के कुछ अपवाद हैं जैसे कि जहां सबूत का बोझ अभियुक्त पर लगाया जा सकता है -

एक क़ानून का कारण "।

मामले के उस दृष्टिकोण में, हम उक्त में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

मुद्दे।

72. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे रखने में विफल रहा है, हम वर्तमान मामले को जिस तरह से निपटाया गया है, उसका पालन करने के लिए हैं।

1) 12 एस. सी. सी. 444 जयकम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

73. यद्यपि विचारण न्यायालय में विभिन्न मामलों में गंभीर दुर्बलताएँ हैं, हम उक्त अनुच्छेद के केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख करते हैं।कुछ नहीं है:

" रक्त-दाग वाले कपड़ों की उपरोक्त पुनर्प्राप्ति

आरोपी मोमीन, जयकम, साजिद और नाज़रा भी साबित करते हैं कि अपराध में उनकी भागीदारी। उपरोक्त पुनर्प्राप्ति भी

घटना के समय घर और यह कि घटना से पहले सभी बच्चों को उनके दादा-दादी के घर भेज दिया गया था। चूँकि अपराध अच्छी तरह से और पूर्व नियोजित तरीके से किया गया था, इसलिए ऐसा अधिक प्रतीत होता है। संभव है कि घटना से पहले बच्चों को उनके दादा-दादी के घर भेज दिया गया था। यदि इस संभावना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो घटना के बाद आरोपी नजर की गिरफ्तारी और बाकी तीन अभियुक्तों अर्थात् मोमीन, साजिद और जयकम की गिरफ्तारी रात में 2 बजे राजघाट चौराहा पर नहीं बल्कि सुबह 6:30 बजे महत्वपूर्ण हो जाती है। यह इंगित करता है कि नजरा, घटना के बाद, अपने बच्चों से मिलने और उन्हें घर की चाबियाँ देने के लिए गई थी। इसके बाद, [2021] 14 एस. सी. आर. के अनुसार।

पूर्व नियोजित कार्यक्रम में, उसे उसी राजघाट चौराहा पर पहुंचना था, जहाँ शेष तीन अभियुक्तों को रात में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी अभियुक्तों ने इकट्ठा होने की योजना बनाई होगी

वही चौराहा और यहाँ से एक साथ भाग जाते हैं और इसलिए वे रात के 2 बजे तक एक ही स्थान पर नजर का इंतजार करते रहते हैं। यही कारण है कि यह भी असंभव है कि अगर घटना रात 8:30 बजे के आसपास हुई थी, तो तीन आरोपी मोमीन, ज़ैकम और साजिद के पास इस अपराध को करने के बाद, बहुत दूर भागने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि, सुबह 2 बजे तक राजघाट चौराहा पर खड़े रहने से संकेत मिलता है कि वे वहां इंतजार कर रहे थे

नाज़रा आ जाए। "

74. कम से कम कहने के लिए, हम उपरोक्त निष्कर्ष पर हैरान हैं। वर्णन एक कहानी के रूप में एक दिलचस्प पढ़ने के लिए बनाता है। हालांकि, सभी

अवलोकन और कुछ नहीं बल्कि अनुमान और अनुमान हैं, जिनका कोई प्रमाणिक समर्थन नहीं है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्तमान मामले से कैसे निपट सकते थे।

इस तरह के लापरवाह तरीके से जब वह चार अभियुक्तों के जीवन और मृत्यु के सवाल पर विचार कर रहा था।

75. इस स्तर पर हम खुद को और देश के सभी न्यायालयों को आपराधिक मामलों में पालन किए जाने वाले सुनहरे सिद्धांत की याद दिलाना चाहेंगे।

न्यायशास्त्र। यह न्यायालय, पंजाब राज्य बनाम के मामले में दिग्गज एच. आर. खन्ना, जे. के माध्यम से बोल रहा है। जागीर सिंह, बालजीत सिंह और करम सिंह ने इस प्रकार कहाः

" 23. एक आपराधिक मुकदमा एक परी कथा की तरह नहीं है जिसमें कोई अपनी कल्पना और कल्पना को उड़ाने के लिए स्वतंत्र है। यह स्वयं इस सवाल से संबंधित है कि क्या मुकदमे में आरोपित अभियुक्त उस अपराध का दोषी है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। अपराध वास्तविक जीवन में एक घटना है और विभिन्न मानवों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। भावनाएँ। अपराध करने के आरोप में अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने पर, अदालत को साक्ष्य का आकलन संभावनाओं, उसके आंतरिक मूल्य और गवाहों की दुश्मनी के आधार पर करना होता है। अंतिम विश्लेषण में प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करना होगा। यद्यपि प्रत्येक उचित संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, न्यायालयों को उसी समय ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए जो काल्पनिक या अनुमानों की प्रकृति के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से विश्वसनीय हों।

7 (1974) 3 एस. सी. सी. 277 जयकम खान बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

76. जिस तरह से उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले को संभाला है, उससे हम चकित हैं। कपड़ों की बरामदगी के संबंध में उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा।

" यह आग्रह किया गया है कि वसूली को साबित करने के लिए

कपड़े, कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया था। यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने केवल वसूली को साबित करने के लिए औपचारिक गवाह को पेश किया, लेकिन दूसरी ओर इस तथ्य का खुलासा आरोपी मोमीन की बेटी हिना द्वारा प्रदान की गई चाबियों से कमरा खोले जाने के बाद बचाव पक्ष ने इसका खंडन नहीं किया जो हिना को पेश करके किया जा सकता था ताकि इनकार किया जा सके।

ऐसी कोई भी वसूली "।

77. यह निष्कर्ष न केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या करने वाले सुव्यवस्थित कानून के विपरीत है, बल्कि अभियुक्त पर बोझ डालने का भी प्रयास करता है, जो तब तक नहीं बदलता जब तक कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर देता।

78. उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां भी अनुमानों और अनुमानों के दायरे में आती हैं:

एक साथ वध किया जाता है, यह एक हमलावर का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए, तीन हमलावरों मोमीन, जयकम और साजिद की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाभाविक रूप से हमले की ऐसी प्रकृति होगी। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया।

79. उच्च न्यायालय का एक और निष्कर्ष, जो पढ़ने में दिलचस्प है और आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए विदेशी है, इस प्रकार है:

" जयकम और साजिद के संबंध में मकसद का सवाल तत्काल नहीं हो सकता है और वे एक अलग परिवार होने के नाते सही हो सकते हैं।

हालाँकि, यह अपने आप में साजिद और जयकम के मोमीन के साथ संबंध को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन इस मामले में, हम पाते हैं कि निचली अदालत ने लोगों के बीच ईर्ष्या के बारे में एक धारणा जताई है

मौसम खान के कारण परिवारों ने अपना व्यवसाय विकसित किया और एक ईंट के माध्यम से अपनी कमाई में वृद्धि की। निचली अदालत की चर्चा के इस भाग में अभिलेख पर साक्ष्य से पर्याप्त पुष्टि नहीं मिलती है, और इसलिए, उद्देश्य दूरस्थ प्रतीत होता है और बहुत मजबूत उद्देश्य नहीं है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि [2021] 14 एस. सी. आर. के साथ कोई संबंध नहीं था।

मोमीन के साथ जयकम और साजिद, जो दोस्ताना लग रहे थे

शर्तें और यह तथ्य गवाहों के बयान से परिलक्षित होता है विशेष रूप से, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2, जहां उन्होंने कुछ कारणों से प्रतिशोध की स्थिति होने का संकेत दिया है। इस प्रकार भले ही एक मजबूत उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया हो और निचली अदालत के तर्क थोड़े फैले हुए हों, फिर भी यह उनकी उपस्थिति को मिटा नहीं पाएगा, विशेष रूप से जब अपराध किए जाने के समय उनकी उपस्थिति को स्थापित करने के लिए ऑक्युलर गवाही।

80. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के उन्हीं न्यायाधीशों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के उन्हीं सबूतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया

अभियुक्त सं. 2-नज़रा के संबंध में। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" श्रीमती की गिरफ्तारी। नज़रा को एक सार्वजनिक स्थान से दिखाया गया है

सुबह लगभग 6ः40 बजे जबकि श्रीमती. नाज़रा दावा करती है कि

वह अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद है। वहाँ कोई नहीं है उसकी गिरफ्तारी का स्वतंत्र गवाह। जाँच अधिकारी, पीडब्लू-9 ने जिरह पर कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि क्या श्रीमती। नज़रा अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन में थी या नहीं। हालाँकि वह पुलिस स्टेशन में उसकी गिरफ्तारी से इनकार करता है। पीडब्लू-2 ने 20.03.2015 पर अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि जब वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो मोमीन, जयकाब, साजिद और नजरा सभी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। पीडब्लू-2 की विशालता उनकी उपस्थिति की पुष्टि करती है

पीडब्लू-1 मुखबिर के साथ पुलिस स्टेशन, जिसने स्वीकार किया है कि वह अपने बहनोई पीडब्लू-2 के साथ पुलिस स्टेशन गया था। 6 बजे नाज़रा की गिरफ्तारी की कहानीः 40 मैं अगले दिन सुबह इन में हूँ

इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से हैं संदिग्ध। यह पहलू ऊपर व्यक्त किए गए संदेह को और बढ़ाता है।

नं. 1 , 3 और 4 उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से जहां से आरोपी नंबर 2-नज़रा को पकड़ा गया था। यदि उच्च न्यायालय के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, तो क्या आरोपी संख्या की गिरफ्तारी के लिए कोई स्वतंत्र गवाह है। 1 , 3 और 4. यदि पी. डब्ल्यू. 2-जान मोहम्मद के साक्ष्य के आधार पर, जिन्होंने अपनी जिरह में गवाही दी है, कि जब वे एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, तो उन्होंने पाया कि पुलिस थाने में मौजूद मोमीन खान (ए-1), जयकम खान (ए-3), साजिद (ए-4) और नाजरा (ए-2), जो उच्च न्यायालय के अनुसार,

पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान और इसलिए, जयकाम खान बनाम की गवाही से पुष्टि की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य

[बी. आर. गवई, जे.]

सुबह 6ः40 बजे नजर (ए-2) की गिरफ्तारी की कहानी अविश्वसनीय पाई गई, तो फिर यह आरोपी संख्या की गिरफ्तारी से कैसे अलग थी। 1 , 3 और 4, जो 24 जनवरी, 2016 को सुबह 2 बजे दिखाया गया था, यानी एफ. आई. आर. दायर करने के बहुत बाद। उच्च न्यायालय ने आगे कहा

संभावना, संभावना की प्रधानता, एक वैज्ञानिक बहुत सावधानी के साथ अपने प्रयोगों का संचालन करता है, दो या दो से अधिक संभावनाओं के बीच चयन करता है, और एक के ऊपर दूसरे के प्रमुखता, आदि के संबंध में एक अकादमिक चर्चा करता है। हालाँकि, कानून जो पूरी तरह से तय है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह मामले को उचित से परे साबित करे। सन्देह हो रहा है।

82. हम आनंद रामचंद्र चौगुले बनाम के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं। सिदाराई

लक्ष्मण चौगला और अन्य 3:

" 10. आरोपों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है

सभी उचित संदेह से परे। इसके विपरीत, अभियुक्त को केवल अभियोजन पक्ष के मामले और उसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है। अभियोजन पक्ष के विपरीत, एक अभियुक्त को अपने बचाव को सभी उचित संदेह से परे स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभियुक्त बचाव करता है, जो असंभव नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के बचाव के समर्थन में सामग्री है, तो अभियुक्त को आगे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। संदेह का लाभ तब तक मिलना चाहिए जब तक कि अभियोजन पक्ष सक्षम न हो

अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करें।

11. तथ्य यह है कि एक रक्षा एक द्वारा नहीं ली गई होगी

सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत आरोपी फिर से दोषमुक्त नहीं हो सकता है।

अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने से। यदि ऐसी सामग्री है जिसका अभियोजन पक्ष जवाब देने में असमर्थ है, तो लिए गए बचाव में कमजोरी अभियोजन पक्ष की यह दावा करने की ताकत नहीं बन सकती है कि परिस्थितियों में ऐसा नहीं था।

कुछ भी साबित करने की जरूरत है। सुनील कुंडू बनाम। की स्थिति

झारखंड [सुनील कुंडू बनाम। झारखंड राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 422: (2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 427], इस न्यायालय ने कहाः (एससीसी पीपी।

433-34 , पैरा 28)

" 28. ..... जब अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सक्षम नहीं होता है

उचित संदेह से परे यह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव को संभव नहीं बना पाए हैं।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए। यह अभियुक्त के मामले की कमजोरी से समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता है, यदि उसने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है। 9999 " " " "

83. इसलिए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। दोषसिद्धि और मृत्यु

अभियुक्त पर लगाई गई सजा कानूनी रूप से पूरी तरह से अस्थिर है।

जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 1-अली शेर खान द्वारा अभियुक्त नंबर 2-नज़रा को बरी करने के संबंध में दायर अपील का संबंध है, यह बिना किसी योग्यता के है।

84. परिणामतः

(अ)

आपराधिक अपील सं। 440-441 मोमीन खान द्वारा दायर 2020 का

(अभियुक्त सं. 1); आपराधिक अपील सं. 434-436 जयकम खान (अभियुक्त सं. 3) द्वारा दायर 2020 का आदेश और आपराधिक अपील सं. 437-439 साजिद (अभियुक्त संख्या 4) द्वारा दायर 2020 का मामला है -

अनुमति दी गई;

मोमीन खान (आरोपी नंबर 1), जयकम खान (आरोपी)

(ख)

सं. 3) और साजिद (अभियुक्त सं. 4) को किसी अन्य अपराध में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा दायर 2020 की आपराधिक अपील संख्या 442-अली शेर

((ग)

खान को बर्खास्त कर दिया जाता है।

85. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

86. फैसला देने से पहले, हमें श्रीमती द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करनी चाहिए। आदित्य रामकृष्णन, आरोपी नंबर 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के साथ-साथ मूल आरोपी नंबर 2, श्री दमा शेषाद्री नायडू, आरोपी नंबर 1 की ओर से विद्वान वकील। 3 और 4, और श्री विनोद दिवाकर, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता।

अपीलों
का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे